26 जून 2019 मादक पदार्थों के दुरूपयोग एवं अवैध व्यापार के विरूद्ध अन्तर्राष्ट्रीय दिवस पर नारकोटिक्स आयुक्त का संदेश

प्यारे साथियों,

सभी देशवासियों को "नशा मुक्ति दिवस" (मादक पदार्थों के दुरूपयोग एवं अवैध व्यापार के विरूद्ध अन्तर्राष्ट्रीय दिवस) के अवसर पर, केन्द्रीय नारकोटिक्स ब्यूरो की ओर से हार्दिक बधाई।

संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा प्रतिवर्ष 26 जून को "मादक पदार्थों के दुरूपयोग एवं अवैध व्यापार के विरूद्ध अन्तर्राष्ट्रीय दिवस" मनाया जाता है। जिसका उददेश्य समाज के प्रत्येक स्तर पर, विशेषकर युवा वर्ग में, मादक पदार्थों के बढ़ते सेवन और उसके गम्भीर दुष्प्रभावों के बारे में जन–जागरूकता लाना है।

मादक पदार्थों का सेवन व्यसनी के स्नायु/तंत्रिका तंत्र को सीधा प्रभावित करते हुए धीरे–धीरे उसे शारीरिक एवं मानसिक रूप से खोखला कर देता है। इसका प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष प्रभाव उसके परिवार एवं समाज पर भी गहराई से परिलक्षित होता है। हमारा युवा वर्ग, जो कि देश का भविष्य हैं, जल्द ही इसकी गिरफ्त में आ जाते हैं और इससे उत्पन्न दुष्प्रभावों के दलदल में अज्ञानतावश फॅसकर इस मूल्यवान जीवन को बर्बाद कर लेते हैं।

अतः हमें इस सामाजिक बुराई से प्रभावी ढंग से लड़ने की आवश्यकता है जो कि हम सभी के सहयोग एवं सहभागिता के बिना सम्भव नहीं है। अतः आप सभी से अनुरोध है कि यदि आपके संज्ञान में मादक पदार्थों की अवैध गतिविधियों एवं व्यापार में लिप्त व्यक्तियों के संबंध में कोई भी जानकारी है तो उसें हमारे साथ साझा करें ताकि ऐसे असामाजिक एवं मानवता विरोधी तत्वों के विरूद्ध कार्यवाही कर उन्हें कानून के दायरे में लाकर दंडित किया जा सके।

आईये हम सब मिलकर यह संकल्प लें कि मादक पदार्थों के अवैध उपयोग के विरूद्ध व व्यसनी लोगों के सुधार के प्रति इस लड़ाई में हम मिल–जुल कर लड़ेंगें।

जो करेगा मादक द्रव्यों को स्वीकार
वह करेगा अपना जीवन बेकार

नारकोटिक्स आयुक्त

केन्द्रीय नारकोटिक्स ब्यूरो,
19, माल रोड, मुरार, ग्वालियर–474006
फोन नं. 0751–2368996, 2368997
फैक्स नं. 0751–2368111
ईमेल : narcommr@cbn.nic.in